

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी :- दिव्या आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 68 / 2023

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :- 24/02/2025


अनुवान रामचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/दावा एवं राज पैरोकार तहसीलदार भानीपुरा की अनुशंषा के पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 136 के अनुसरण में ग्राम अमरासर तहसील भानीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 में खाता 41 पुराना 22 में वर्तमान प्रविष्टि को आज दिनांक 24/2/25 को निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर सुप्रीम नॉड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।



ग्राम	खाता संख्या नया (पुराना)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
अमरासर	41 (22)	मामचन्द्र पुत्र उमा निवासी अमरासर	रामचन्द्र पुत्र ओमराम जाति जाट निवासी अमरासर तहसील भानीपुरा जिला चूरु राजस्थान हाल निवासी गांव रंथावा तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा


सहायक और स.प.स.
राजस्थान
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)
सरदारशहर (चूरु)

तिलिषि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार भानीपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तीन दिवस में किया जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री/श्रीमती



सहायक और स.प.स.
राजस्थान
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)
सरदारशहर (चूरु)

